तारीख क्रम्म	
10.02.26	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप. प्रकरण का अवलोकन करने उपरांत विप्रार्थीगण की तलबी अपूर्ण पाई गई। न्यायालय द्वारा अपालना में आदेश 09 नियम 05 सपठित धारा 151 CPC के तहत वादी का मूल वाद खारिज किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर